अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 18/2016-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 19/2004-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी) तारीख 6 सितंबर, 2004, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 570(अ) तारीख 6 सितंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में :--

(1) पैरा (ङ) में, "(2) शर्तें और सीमाएं" शीर्ष के अधीन, "बाजार कीमत" शब्दों के स्थान पर "भारतीय बाजार कीमत" शब्द रखे जाएंगे ;

(2) पैरा (ख) के उपपैरा (i) में, "(3) प्रक्रियाएं" शीर्ष के अधीन, "की जाएगी" शब्दों के पश्चात् "केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा0सं0 334/8/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 19/2004-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 6 सितंबर, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 570(अ) तारीख 6 सितंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 24/2011-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 5 दिसंबर, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 860(अ) तारीख 5 दिसंबर, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।